# न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-1 कोटा (राज.)

.....

पीठासीन अधिकारी ः रमेश कुमार अटल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी वाद (सी.आई.एस.) संख्या ः 125/2021
CNR No. RJKT01 004698 2021

01. श्रीमती श्यामलता पत्नी स्व० श्री शंकर लाल आयु 40 साल निवासी आधुनिक बुटिक के पास, पवन दुग्ध डेयरी रोड, बल्लभबाडी, कोटा (राज०)
02. दीपिका चंदेल पुत्री स्व० श्री शंकर लाल चंदेल आयु 23 साल निवासी आधुनिक बुटिक के पास, पवन दुग्ध डेयरी रोड, बल्लभबाडी, कोटा (राज०)

---वादीगण

-बनाम-

01. सुशीला बाई पत्नी परसराम पुत्री स्व० कन्हैयालाल निवासी पुलिस चौकी के सामने कोटडी कोटा हाल निवास पवन दुग्ध डेयरी रोड बल्लभबाडी, कोटा (राज०)
02. बिल्लो बाई पत्नी सत्यनारायण पुत्री स्व० कन्हैयालाल निवासी मस्जिद के पास, विज्ञान नगर कोटा हाल निवास पवन दुग्ध डेयरी रोड बल्लभबाडी, कोटा (राज०)

---प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन सम्पत्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति:

1. श्री प्रेमशंकर नावर, अभिभाषक- वादीगण की ओर से।
2. श्री जाकिर हुसैन, अभिभाषक-प्रतिवादीगण की ओर से।

ः::ः निर्णय:ः:: दिनांक: 05.07.2024

01. वादीगण श्रीमती श्यामलता वगैरह द्वारा प्रतिवादीगण सुशीला बाई वगैरह के विरूद्ध यह वाद वास्ते विभाजन सम्पत्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 09.07.2021 को श्रीमान् जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. वादपत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री कन्हैयालाल एवं श्रीमती छोटा बाई दोनो पति पत्नी थे। श्री कन्हैयालाल का निधन लगभग 40 वर्ष पूर्व हो गया तथा श्रीमती छोटा बाई का निधन दिनांक 12.08.2020 को हो गया है, उक्त दोनो के एक पुत्र शंकर लाल व दो पुत्रीयाँ प्रतिवादी सं.1 व 2 हैं। पुत्र शंकर लाल का निधन दिनांक 08.07.2008 को हो गया है। स्व० शंकर लाल की वादी सं.1 पत्नी वादी सं.2 पुत्री जीवित है। स्व० श्री कन्हैयालाल एवं स्व० श्रीमती छोटा बाई की सम्पत्ति एक आवासीय मकान जिसकी पैमायश लगभग 25 गुणा 25 = 625 वर्गफुट है, जो कि मकान नं.ए190, बल्लभबाडी के सामने वाके पवन दुग्ध डेयरी रोड, बल्लभबाडी, गुमानपुरा कोटा में स्थित है, जिसकी चतुर्सीमाए पूर्व- मकान राधेश्याम शर्मा जी, पश्चिम- मकान भंवरी बाई भोई,

उत्तर- गली बाद मकान त्रिलोक जी व भंवर लाल मोदी एवं दक्षिण- आम रोड बाद मकान नं. ए 190 श्यामसुंदर नामा का स्थित है। उक्त मकान लगभग 625 वर्गफुट में निर्मित है, जिसमें भू-तल पर 3 कमरे, बरामदा/चौक व लैट बॉथ है, प्रथम तल पर दो कमरे बने हुये है, जिसमें वादीगण भूतल पर पूर्व दिशा की ओर राधेश्याम जी शर्मा के मकान के अडवा बने हुये कमरे में निवास करती है, जिसमें वादीगण का स्त्रीधन व दहेज सामान आदि रखे हुये है। यानि की उक्त मकान पर वादीगण का कब्जा है। वाद पत्र की मद सं.4 में वर्णित अनुसार स्व० श्री कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटा बाई का सजरा अंकित है। इस प्रकार उक्त मकान में सभी सम्पत्ति में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं भाग है, प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है, वादीगण का उक्त मकान/सम्पत्ति में संयुक्त रूप से कब्जा है। परिवार में विवाद की स्थिति है, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ अभ्रद व्यवहार किया जाता है, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है, मारपीट की जाती है एवं दहेज की डिमाण्ड की जाती है तथा वादीगण को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उक्त सम्पूर्ण मकान को हडप कर जाने की नियत से वादीगण के साथ धौंस दबाव की नीति से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत होने एवं चुपचाप से उक्त मकान का विक्रय वादीगण की जानकारी में लाये बिना करने हेतु आमादा होने के कारण उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति/मकान को रखना एवं उपभोग करना संभव नही रहा है, दिन प्रतिदिन विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, वादीगण पुत्री पर भी गलत प्रभाव पड रहा है, पढाई में व्यवधान पैदा हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करना संभव नही हो पा रहा है, इस कारण उक्त मकान का विभाजन करना आवश्यक है।

03. वादीगण का आगे यह भी कथन रहा है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त मकान का विभाजन करने का दिनांक 14.01.2021 को प्रस्ताव दिया था, जिसे प्रतिवादीगण ने अस्वीकार कर दिया है एवं वादीगण के साथ में लडाई झगडा करने पर अमादा हो गये है, उक्त मकान को वादीगण की सहमति के बिना बेचने की एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी गयी। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.02.2021 को कानूनी नोटिस प्रेषित करवाया, उक्त नोटिस प्रतिवादी कम-1 को दिनांक 20.02.2021 को एवं प्रतिवादी कम-2 को दिनांक 24.02.2021 को प्राप्त हो गया है, नोटिस मियाद समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा हेतु कार्यवाही नही किये जाने के कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। समस्त सम्पत्ति अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति है, जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से है, वादीगण का संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जा है। अंत में वाद कारण, निश्चित न्याय शुल्क पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होना बताते हुए कथन किया है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व विभाजन का वाद डिकी किया जाकर वाद वर्णित सम्पत्ति में वादीगण का 1/3 हिस्सा विभाजन किया जावें एवं विभाजित भाग का पृथक कब्जा दिलाया जावें एवं निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन बेदखल नही करें, प्रतिवादीगण उक्त वाद वर्णित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का भार उत्पन्न नही करें, हस्तांतरण नहीं करें, किसी को कब्जा पत्र लिखकर नही देवें।

04. उक्त वादपत्र का जबाव प्रतिवादीगण ने पेश कर वादपत्र की मद सं.1, 2

स्वीकार कर मद सं.3 में मकान का वर्णन व सीमांए स्वीकार कर वादीगण का स्त्रीधन व दहेज का सामान विवादित मकान में रखे होना, उसमें वादीगण का निवास करना अस्वीकार किया है, क्योंकि वादी सं.1 पति के निधन के दो माह बाद ही ससुराल छोडकर अपने मायके चली गयी थी, उस समय उसके कोई संतान नहीं थी तथा अपना सम्पूर्ण स्त्रीधन दहेज का सामान भी ले गयी थी। वाद पत्र की मद सं.4 में वादी द्वारा अंकित अनुसार स्वीकार की है, परन्तु वादिनी का उक्त मकान पर कब्जा होना अस्वीकार किया है एवं कथन किया हैकि उक्त मकान के दस्तावेज मृतक स्व० छोटीबाई अपनी मृत्यु से पूर्व अपने बडे भाई इन्द्रभान पुत्र पन्नालाल निवासी घोषियों की मस्जिद गुमानपुरा कोटा को देखभाल के लिए सुपुर्द कर दिए, दस्तावेज उसी के पास हैं। दस्तावेजात इन्द्रभान के पास होने की जानकारी छोटीबाई ने अपने जीवनकाल में अपनी मृत्यु से पूर्व प्रतिवादीगण व उसके पति को दे दी थी। मद सं.5, 6 व 7 को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित मकान सम्पत्ति का वादपत्र के अनुसार विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। मद सं.8 लगायत 10 को स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र उपरोक्तानुसार डिक्री कर वाद विषयक सम्पत्ति मकान का विभाजन करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2022 को निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किए गए-

01. आया वादीगण के पैरा सं० 3 में वर्णित सम्पत्ति का संयुक्त रूप से वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य 1/3-1/3 हिस्सा का विभाजन करवा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? ---वादीगण

02. आया वादीगण उक्त वाद अधीन सम्पत्ति से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करने, उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार अन्तरण नहीं करके तथा उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी हैं ? ---वादीगण

03. अनुतोष-?

06. तत्पश्चात उक्त विवाद्यक बाबत् मौखिक साक्ष्य में वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यु.1 श्रीमती श्यामलता का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जिस पर उक्त गवाह से अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से जिरह की गयी एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नोटिस प्रदर्श-1, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श-2 व 3, ट्रेक रिपोर्ट प्रदर्श-4 व 5, मकान का फोटो प्रदर्श-6 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-7 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

07. प्रतिवादीगण की ओर से डी.डब्ल्यू.1 के रूप में श्रीमती सुशीला का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जिस पर उक्त गवाह से अधिवक्ता वादीगण की ओर से जिरह की गयी।

08. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

09. दौराने बहस वादीगण के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि इस तथ्य में कोई विवाद नहीं कि स्व० कन्हैयालाल व स्व० छोटीबाई के निधन उपरांत उनके एक पुत्र

शंकरलाल व प्रतिवादीगण विधिक उत्तराधिकारी थे एवं वादी सं.1 के पति व वादी सं.2 के पिता शंकरलाल का निधन 08.07.2008 को हो चुका है, जिसके वादीगण विधिक वारिसान हैं। स्व० श्री कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटा बाई ने वादग्रस्त सम्पत्ति जो छोडी है, जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा है और प्रतिवादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा है, जो उन्हें दिलाया जावे।

10. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति में से बराबर-बराबर हिस्सा अर्थात 1/3-1/3 भाग दिलवाये जाने का निवेदन किया।

11. उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**<u>विवाद्यक सं.1 व 2:-</u>**

12. उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है, जिस संबंध में पी.डब्ल्यु.1 श्रीमती श्यामलता ने साक्ष्य के शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर समर्थन किया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नोटिस प्रदर्श-1, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श-2 व 3, ट्रेक रिपोर्ट प्रदर्श-4 व 5, मकान का फोटो प्रदर्श-6 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-7 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है एवं कथन किया है कि उसे वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति का 1/3 हिस्सा दिलाया जावे एवं विधि अनुसार सम्पत्ति का विभाजन किया जावे, साथ ही उसे प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सम्पत्ति से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया हैकि वादपत्र की मद सं.3 में वर्णित विवादित मकान उसके ससुर स्व० कन्हैयालाल व सास स्व० छोटीबाई की सम्पत्ति है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। इस तथ्य को भी स्वीकार कियाहै कि वह विवादित मकान में रहती है, इस संबंध में उसके द्वारा आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड, जन आधार कार्ड न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया है अजखुद कहा कि उसके मकान में ताला लग रहा है, वह वहां आती जाती रहती है। उसके पति की मृत्यु पन्द्रह साल पहले हुयी थी।

13. प्रतिवादीगण की ओर से डी.डब्ल्ल्यू.1 के रूप में श्रीमती सुशीला बाई का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें यह कथन किया है कि वाद में वर्णित मकान वादिनी की सास एवं प्रतिवादीगण की माता का है। प्रतिवादीगण की माता छोटाबाई का देहान्त होने के उपरांत उक्त मकान के वादीगण एवं प्रतिवादीगण मालिक बने हैं तथा उक्त मकान में वादीगण का 1/3 तथा प्रतिवादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा निहित है। उक्तानुसार मकान का बंटवारा किए जाने में प्रतिवादी शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। जिरह में भी उक्त गवाह ने प्रतिवादी ने शपथ पत्र में 1/3 हिस्सा वादीगण का माना है व प्रतिवादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा माना है, उक्तानुसार मकान का विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

14. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त सम्पत्ति स्व० कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटाबाई की थी, कन्हैयालाल का देहान्त 42 साल पहले होना एवं श्रीमती छोटाबाई का देहान्त 12.08.2020 को होना स्वीकृत है। स्व० कन्हैयालाल व

स्व० श्रीमती छोटाबाई के विधिक वारिसान में एक पुत्र शंकरलाल व दो पुत्रियां प्रतिवादीगण हैं, लेकिन स्व० कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटाबाई के पुत्र शंकरलाल का दिनांक 08.07.2008 को देहान्त हो चुका है, जिससे शंकरलाल के विधिक वारिसान में वादी सं.1 पत्नी व वादी सं.2 पुत्री हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत आई साक्ष्य से उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक शंकरलाल के विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्व० कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटाबाई द्वारा छोडी गयी वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा होना पाया जाता है। जहां तक प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे ऐसा दर्शित हो कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी अन्य को विक्रय करने या खुर्द बुर्द कर अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने पर आमादा हों। अतः विवाद्यक सं.1 वादीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं.2 वादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

**<u>विवाद्यक सं.3-अनुतोषः-</u>**

15. उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि वादाधीन सम्पत्ति स्व० कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटाबाई की थी, कन्हैयालाल का देहान्त 42 साल पहले एवं श्रीमती छोटाबाई का देहान्त 12.08.2020 को होना स्वीकृत है। वादी सं.1 के पति व वादी सं.2 के पिता स्व० शंकरलाल एवं प्रतिवादीगण स्व0 कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटाबाई के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन प्रतिवादी सं.1 के पति व प्रतिवादी सं.2 के पिता शंकरलाल का दिनांक 08.07.2008 को देहान्त हो जाने से शंकरलाल के विधिक वारिसान वादीगण हैं। वाद पत्र की मद सं.3 में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीगण 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से एवं प्रतिवादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. चूंकि अभी उक्त सम्पत्ति का बंटवारा होना है, इस हेतु एक रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रारम्भिक डिक्री पारित किया जाने योग्य है।

ः: आदेश :ः

17. परिणामतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आश्य की पारित करते हुए यह घोषणा की जाती है कि वाद पत्र के पैरा सं.3 में वर्णित सम्पत्ति के वादीगण के पति/पिता स्व० शंकरलाल व प्रतिवादीगण मृतक स्व० कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटाबाई के विधिक वारिसान होने से सह-स्वामी है, चूंकि शंकरलाल की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान वादीगण है। अतः उपरोक्त विववेचनानुसार उक्त वादाधीन सम्पत्ति में वादीगण 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से एवं प्रतिवादीगण 1/3-1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त सम्पत्ति के बंटवारे हेतु कमीशन जारी हो। कमिश्नर को आदेश दिया जाता है कि वह आवश्यक व नियमानुसार जांच कर उक्त सम्पत्तिय में पक्षकारों के उपरोक्त निर्णय अंशो के अनुसार सम्पत्ति को विभक्त कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक माह के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रारम्भिक डिक्री उक्तानुसार बनाई जावे।

(रमेश कुमार अटल)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

क्रम-1, कोटा

18. निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कुमार अटल)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा